पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस–विज्ञप्ति

विभिन्न थाना क्षेत्रों से वांछित में कुल 16 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 10–01–2023

दिनांक 09/10–01–2023 को रात्रि थाना चिनहट 03, थाना गाजीपुर 01, थाना गोमतीनगर 05, थाना गोसाईगंज 01, थाना गुडम्बा 01, थाना इन्दिरानगर 02, थाना ठाकुरगंज 03 अभियुक्त एवं एन0बी0डब्लू0 में थाना आशियाना 01, थाना जानकीपुरम 01, थाना ठाकुरगंज 01 अभियुक्त गिरफ्तार। इस प्रकार वांछित में कुल 16 एवं एन0बी0डब्लू0 में 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

जुआ खेलते/खिलवाते समय गिरफ्तार।

थाना मलिहाबाद–दिनांक 10.01.2023 को एस0आई0 श्री जफर अब्बास थाना मलिहाबाद लखनऊ द्वारा मय हमराही फोर्स के दौराने गस्त अभियुक्त 01–विनोद कुमार पुत्र श्रीपाल निवासी–ग्राम बुधड़िया थाना काकोरी लखनऊ 02–राम विलास पुत्र राम प्रसाद निवासी–ग्राम सहिलामऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ 03–सरवन गौतम पुत्र स्व0 कन्हई लाल निवासी–31/1017 यासीनगंज एकता नगर चौराहा कैम्पट रोड थाना सआदतगंज लखनऊ 04–विजय पुत्र नन्हा निवासी–ग्प्रम सहिलामऊ थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ को आपस मे रूपयों की हारजीत की बाजी लगाकर ताश के पत्तों द्वारा जुआ खेलते व खिलवाते समय सार्वजनिक स्थान मजिद उर्फ गुड्डू की चक्की के पीछे ग्राम सहिलामऊ थाना मलिहाबाद से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 52 अदद ताश के पत्ते, मालफड़ में 1600/–रूपये व जामातलाशी में 900/–रूपये नगद बरामद कर थाना मलिहाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

भा0द0वि0

थाना आशियाना–दिनांक 10.01.2023 को थाना आशियाना द्वारा बताया गया कि श्री सुमित तिवारी पुत्र स्व0 जयप्रकाश तिवारी निवासी–गांव नवाब नगर थाना कासिमपुर तहसील सण्डीला जनपद हरदोई ने थाना आशियाना पर सूचना दिया कि आज दिनांक 10.01.2023 को उसे सूचना मिलने पर वह बंगला पुल के पास पहुचा तो देखा कि उसके चाचा विशाल तिवारी उम्र करीब 45 वर्ष पुत्र स्व0 गोकरन तिवारी ग्राम नवाब नगर पो0–बेहन्दर थाना कासिमपुर तहसील सण्डीला जनपद हरदोई जो कि बंगला पुल के पास नाले में मृत अवस्था में पड़े हुए मिले है। **इस सूचना पर एस0आई0 श्री मो0 शब्बीर मो0नं0 9125477038 थाना आशियाना द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।** जिनके द्वारा बताया गया कि मृतक लखनऊ में ई–रिक्शा चलाता था। मृतक अविवाहित था।

थाना सुशान्तगोल्फ सिटी–दिनांक 10.01.2023 को थाना सुशान्तगोल्फ सिटी द्वारा बताया गया कि वादी श्री कुलदीप मिश्रा उर्फ देवेश मिश्रा पुत्र राधेश्याम मिश्रा निवासी–सी–1/84 सुशान्तगोल्फ सिटी लखनऊ ने थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर सूचना दिया कि दिनांक 09.01.2023 को सुबह करीब 10.00 बजे वादी अपने उक्त घर पर आया तो देखा कि वादी के उक्त घर का ताला टूटा हुआ था व घर के अन्दर के दरवाजे के ताले भी टूटे मिले व प्रथम तल के स्टोर रूम में रखे गोदरेज आलमारी का भी ताला टूटा मिला। वादी के घर की आलमारी में रखे 03 लाख 32 हजार रूपये नगद व 02 अदद लैपटाप, पेन ड्राइव व अन्य जरूरी कागजात को अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया है। उक्त चोरी की घटना मध्य रात्रि 01.30 बजे से 04.00 बजे की है। उक्त घटना एवं चोरी की सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी मौजूद है। जिसमें 02 अज्ञात व्यक्ति चोरी की घटना को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। **इस सूचना पर थाना सुशान्तगोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 014/2023 धारा 457/380 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।**